45

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 765–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–2003 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 11/1994–95/अपील

.....

पन्नालाल पिता विश्रामजी धाकड़ (मृत वारिसान :–)
सुदामा गली कृषक कस्बा खाचरोद
जिला उज्जैन
1–भागीरथ पिता पन्नाललाल
2–बगदीराम पिता पन्नालाल
दोनों निवासी सुदामा गली खाचरोद
जिला उज्जैन
3–श्रीमती मानीबाई पति बगदीरामजी सगित्रा पुत्री पन्नालाल
निवासी भाटखेड़ी तहसील खाचरौद जिला उज्जैन
4–श्रीमती भागवन्तीबाई बेवा बगदीराम पुत्री पन्नालाल
निवासी गरगामा गली खाचरौद जिला उज्जैन
5–श्रीमती सरजूबाई पति लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल
निवासी भवानी चौक खाचरौद जिला उज्जैन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रणजीत सिह पुत्र गोविन्द्रसिंह (मृत वारिसान :–
1.श्रीमती सरोज देवी पत्नी रणजीत सिंह
निवासी गुरूनानक मार्ग खाचरौद तहसील खाचरौद जिला उज्जैन
2.अनूप कपूर पुत्र स्व0रणजीतसिंह पत्नी किशोर कपूर
निवासी सुहाग पटेल सुकलिया इंदौर म0प्र0
3.प्रमा उर्फ प्रभा पुत्री रणजीतसिंह पत्नी किशोर कपूर
निवासी वॉच कंपनी मेनरोड चन्द्रपुर महाराष्ट्र
4.ममता पुत्र रणजीत सिंह
निवासी रावला गुरूनानक मार्ग खाचरौद तहसील खाचरौद जिला उज्जैन
2–मदनसिंह पुत्र गोविन्द्रसिंह
3–रूपसिंह पुत्र गोविन्द्रसिंह
4–निरन्जनसिंह पुत्र गोविन्द्रसिंह
तीनों निवासीगण निरंजन निवास 95 गुरूनानक मार्ग,
रावला खाचरौद जिला उज्जैन
5–दिलावरसिंह पुत्र कोमलसिंह (मृत वारिसान :–
शेलेन्द्र कपूर आत्मज दिलावर सिंह (मृत वारिसान :–
1.श्रीमती कल्पना पत्नी शैलेन्द्र कपूर
2.कु0प्रभा/दोनों अव्यस्क पुत्री एवं पुत्र स्वयं शैलेन्द्र कपूर

3.गगन द्वारा संरक्षक मॉ श्रीमती कल्पना पत्नी शैलेन्द्र कपूर
निवासीगण गुरूनानक मार्ग खाचरौद तहसील खाचरौद जिला उज्जैन
6–ओमप्रकाश पिता कोमलसिंह
निवासी विश्वविद्यालय के पीछे,
कोयली फलिया फतेपुरा आयटीआय बडोदा गुजरात
7–अनुसुईयाबाई पुत्री कोमलसिंह पत्नी रामचन्द्र (मृत वारिसान :–
1.राजेश कुमार पुत्र रामचन्द खत्री
2.राकेश कुमार पुत्र रामचन्द खत्री
3.रानीबाई पुत्री रामचन्द खत्री
4.रजनीबाई पुत्री रामचन्द खत्री
निवासीगण भोपाल बाडी खत्रियों की गली
उदयपुर राजस्थान

.....अनावेदकगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1,2,3 व 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 8/6/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि गोविन्दसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खाचरौद के समक्ष संहिता की धारा 189 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि कस्बा खाचरौद स्थित भूमि खाता कमांक 4/2 रकबा 27 बीघा उसके पिता कुन्दनसिंह के नाम दर्ज है, इसमें से 11/2 बीघा पर आवेदक पन्नालाल के कब्जे में होकर हैसियत आधिपति कृषक दर्ज है । अब वह स्वयं कृषि कार्य करना चाहता है, अतः उक्त भूमि गोविन्द्रसिंह को दिलायी जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 8/60/189 दर्ज कर दिनांक 17–4–1972 को आदेश पारित कर 12/4 बीघा का कब्जा गोविन्दसिंह को दिलाये जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक

29–8–1977 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17–4–1972 निरस्त किया गया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद में संशोधन किये जाने के बाद प्रतिवाद के आधार पर वाद बिन्दु कायम करके उभयपक्ष को अपनी अपनी साक्ष्य व प्रमाण आदि पेश करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जाये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–9–1979 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया गया कि अपील प्रकरण स्थगित रखे व प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को नवीन संशोधन अनुसार वाद प्रश्न कायम कर साक्ष्य लेने हेतु वापिस भेजे । साक्ष्य होने के पश्चात् प्रकरण मंगवाकर अपील का गुणदोष के आधार पर निराकरण करें । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही कर प्रकरण अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 11–10–1994 को आदेश पारित कर 11 बीघा 7 विस्वा भूमि गोविन्दसिंह को वापिस दिलाये जाने के आदेश दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–3–2003 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोविन्दसिंह के आवेदन पत्र को स्वीकार करने में उचित कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि उसके आवेदन पत्र संहिता की धारा 189 के अन्तर्गत विचार योग्य ही नहीं था, कारण गोविन्दसिंह विहित सीमा से कम भूमि नहीं थी और जो भूमि उसके द्वारा विक्रय की गई है, वह आवेदक की भूमि मान्य होगी । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोविन्दसिंह की स्वीकारोक्ति को दृष्टिओझल किया गया है क्योंकि गोविन्दसिंह द्वारा स्वयं कथन में समय समय पर भूमियॉ विक्रय किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया गया है यह भी तर्क दिया गया कि व्यवहार न्यायालय का आदेश भी अंतिम आदेश नहीं हुआ है,

क्योंकि अभी अपील प्रचलित है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रचलित है जिसमें स्थगन दिया गया है इसलिये इस प्रकरण में आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है ।

4/ अनावेदक कमांक 1, 2, 3 व 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय से दिनांक 11–1–1997 को आदेश पारित हो चुका है जिसके अनुसार प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण की भूमि मानी गई है और दो माह के भीतर कब्जा दिये जाने के आदेश दिये गये हैं । इस आधार पर कहा गया कि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है । अनावेदक द्वारा आवेदक को कोई भी भूमि विकय नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में अनेक बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है, परन्तु उनके संबंध में आदेश में निष्कर्ष नहीं निकाले गये हैं और ना ही उनका निराकरण किया गया है, केवल व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में अपील अनिर्णित ही समाप्त कर दी गई है, जहॉ तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कब्जे के संबंध में स्थगन दिया गया है, राजस्व न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में स्थगन नहीं दिया गया है, अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2003 निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अपील में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपील का निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर